



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 11 मई, 2020

बैशाख 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 435/ग्यारह-2-9(42)-17-उ०प्र० जी०एस०टी०नियम-2017-आदेश(119)-2020  
लखनऊ, 11 मई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-122

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली में अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 8 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) आवेदक, उपधारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय, 1 अप्रैल, 2020 से, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए आधार संख्या अधिप्रमाणन करवाएगा।”

3-उक्त नियमावली में, नियम 9 में, उपनियम (1) में 1 अप्रैल, 2020 से निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 के अधीन उपबंधित रीति में केवल कारबार के मूल स्थान का आस्तित्व जाँच करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।”

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

नियम 8 का संशोधन

नियम 9 का संशोधन

नियम 25 का संशोधन 4-उक्त नियमावली में, नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

“कतिपय मामलों में, कारबार परिसर का वास्तविक सत्यापन— जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तविक सत्यापन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन में असफल होने के कारण अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटीआरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।”

नियम 43 का संशोधन 5-उक्त नियमावली में, नियम 43 में, उपनियम (1) में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

“क’ के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के सम्बन्ध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम, बीजक में परिलक्षित टैक्स की राशि होने के नाते, को इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा किया जायेगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक से पांच वर्ष होगा:

परन्तु जहां कोई पूंजी माल खंड (क) के अधीन पूर्वतन आया है इस खंड के अधीन तत्पश्चात् आयेगा, ‘क’ के अनुसार उल्लिखित ऐसे पूंजी मालों के संबंध में निवेश कर इस शर्त के अध्वधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में जमा की जायगी, ऐसी पूंजी माल के दौरान अवधि के लिए अपात्र प्रत्यय मानते हुए ‘टाई’ के रूप में उल्लिखित खंड (क) के अन्तर्गत आते थे, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत अंको की दर पर परिकलित किया जायेगा और कर अवधि, जिसमें ऐसे प्रत्यय का दावा क्रिया गया है, के निर्गम कर दायित्व को सम्मिलित करेगा:

परन्तु अग्रतर यह कि रकम ‘टाई’ केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और समाकलित कर के निवेश कर प्रत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररूप जी एस टी आर-3 ख में घोषित की जाएगी”;

स्पष्टीकरण—खण्ड (क) के अधीन घोषित की गयी पूंजी माल का कोई मद उसे प्राप्त किये जाने पर, धारा 18 की उपधारा (4) के उपबन्धों से आच्छादित नहीं होगा, यदि वह इस खण्ड के अधीन बाद में आच्छादित हों”;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

“क’ की रकम का संकलित प्रत्यय सामान्य पूंजी माल के संबंध में खंड ‘ग’ के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में जमा किया गया, जिसका उपयोग कर अवधि के दौरान होता है, जो कि ‘टी’ के रूप में निरूपित किया जाता है, ऐसी पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होगा :

परन्तु जहां कोई पूंजी माल खंड (ख) के अधीन पहले से ही आच्छादित है, वह खंड (ग) के अधीन पश्चात्वर्ती आच्छादित था, ऐसी पूंजी माल के संबंध में निवेश कर प्रत्यय मांग-समाकलित मूल्य ‘टी’ पर जोड़ा जायेगा”;

(ग) खंड (ड) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण— संदेह का दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पूंजी माल का उपयोगी जीवन, बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार में लिया जाएगा और उक्त सूत्र, उक्त पूंजी माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा।”;

(घ) खंड (च) को निकाल दिया जाएगा।

6-उक्त नियमावली में, नियम 80 में, उपखण्ड (3) में, निम्नलिखित 'परन्तुक' बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- नियम 80 का संशोधन

"परन्तु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका सकल आवर्त करोबार वित्तीय वर्ष 2018-19 में पांच करोड़ रुपये से अधिक रहा होगा, को अपने बही खातों की धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रूप से अपने लेखाओं की लेखा-परीक्षा करानी होगी और वह उस संपरीक्षित वार्षिक लेखा की एक प्रति, विधिवत अभिप्रमाणित, वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्ररूप जी0एस0टी0आर-9सी में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, सीधे या आयुक्त के द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा।"

7-उक्त नियमावली में, नियम 86 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- नियम 86 का संशोधन

"(4क) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी संदत्त रकम, जो कि दोषपूर्ण कर संदत्त या अधिक्य में संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकलन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से किया गया है, उक्त रकम, यदि ग्राह्य पायी जाती है, को प्ररूप जी एस टी पी एम टी-03 में दिये गये उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा।"

8-उक्त नियमावली में, नियम 89 में, उपनियम (4) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :- नियम 89 का संशोधन

"(ग) 'मालों के शून्य दर पूर्ति के आवर्त' का तात्पर्य बंधपत्र या उपक्रम पत्र या कीमत के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए मालों की शून्य दर पूर्ति के मूल्य से है जो पूर्तिकर्ता द्वारा यथाघोषित, वही या समान रूप से रखे गए पूर्तियों द्वारा घरेलू मालों की पूर्ति के बराबर की कीमत का 1.5 गुना है, जो उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापारवर्त से कम है।"

9-उक्त नियमावली में, नियम 92 में,-

नियम 92 का संशोधन

(क) उपनियम (1) के बाद निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) जहां शून्य दर पूर्तियों या समझे गये निर्यात पर संदत्त कर के प्रतिदाय से भिन्न कर के रूप में संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय के आवेदन की परीक्षा के लिए यदि समुचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय शोध्य है और आवेदक को संदेय है, वह नकदी में, संदत्त किए जाने के लिए प्रतिदाय की रकम को स्वीकृत करते हुए प्ररूप आर एफ डी-06 में एक आदेश देगा तो अधिनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम में उल्लिखित सुसंगत अवधि के लिए उन्मोचित कर दायित्व के लिए कुल संदत्त रकम के विरुद्ध नकदी में विकलित रकम के लिए आनुपातिक और प्रतिदाय योग्य रकम का अतिशेष और शेष रकम के लिए, जो ऐसे कर के संदाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित किया गया है, समुचित अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय के रूप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए प्ररूप जीएसटीपीएमटी-03 जारी करेगा।";

(ख) उपनियम (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय युक्त रकम" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या उपनियम (1क)" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपनियम (5) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय युक्त रकम" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या उपनियम (1क)" रख दिये जायेंगे।

10-उक्त नियमावली में, नियम 96 में, उपनियम (10) में, खंड (ख) में जो कि 23 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त हुआ, में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- नियम 96 का संशोधन

"स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के लाभ केवल उपयोग के लिए विचार में नहीं लिए जाएंगे जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निवेशों पर समाकलित माल और सेवा कर और प्रतिकर उपकर संदत्त किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) छूट प्राप्त होगी।"

नया नियम 96ख का  
बढ़ाया जाना

11-उक्त नियमावली में, नियम 96क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

“96 ख-मालों के निर्यात पर अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय या समेकित कर संदाय के प्रतिदाय की वसूली जहां निर्यात की वसूली की प्रक्रिया नहीं की जाती है-

(1) जहां मालों के निर्यात या मालों के निर्यात पर एकीकृत कर संदाय के लिए निवेश कर प्रत्यय का उपयोग न किए गए की कोई प्रतिदाय किसी आवेदन को संदत्त की गई है किंतु ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विक्रय की कार्यवाही संपूर्ण रूप से या उसके भाग रूप में वसूली नहीं की गयी है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1999) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर भारत में, ऐसी अवधि के किसी विस्तार को सम्मिलित करते हुए, वह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम को जमा करेगा, विक्रय प्रक्रिया के वसूली न किए गए के विस्तार तक, उक्त अवधि की समाप्ति के तीस दिन के भीतर लागू ब्याज के साथ, यथास्थिति, विस्तारित अवधि आती है, जिसमें उस रकम का प्रतिदाय किया गया, अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबन्धों के अनुसार वसूली जाएगी, जैसी भी स्थिति हो, धारा 50 के अधीन ब्याज सहित त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय के लिए वसूली की जाएगी:

परन्तु जहां विक्रय की प्रक्रिया या उसका कोई भाग ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1999) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर, आवेदक द्वारा वसूली नहीं की गई है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक, गुणागुणों पर विक्रय प्रक्रियाओं की वसूली की आवश्यकता को अपलिखित करता है, आवेदक को संदत्त वसूली की वापसी नहीं होगी।

(2) जहां विक्रय प्रक्रिया आवेदक द्वारा वसूली की जाती है वसूली की रकम के पश्चात् संपूर्ण रूप से या उसके भाग के रूप में उपनियम (1) के अधीन उससे वसूल की गयी है और आवेदक विक्रय प्रक्रिया के वसूली की तारीख से तीस महीने की अवधि के भीतर ऐसी वसूली के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ऐसी वसूल की गई रकम, विक्रय प्रक्रियाओं के वसूली के विस्तार तक आवेदक को समुचित अधिकारी द्वारा प्रतिदाय की जाएगी, परन्तु विक्रय प्रक्रिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वसूल की गयी हो।”

नियम 141 का  
संशोधन

12-उक्त नियमावली में, नियम 141 में, उपनियम (2) में, शब्द “आयुक्त” के स्थान पर शब्द “समुचित अधिकारी” रख दिये जायेंगे।

प्ररूप जी एस टी  
आर एफ डी-01 में  
वचनबंध का बढ़ाया  
जाना

13-उक्त नियमावली में, प्ररूप जी एस टी आर एफ डी-01 में, नियम 89(2)(छ) के अधीन घोषणा के पश्चात्, निम्नलिखित वचनबंध बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

“वचनबंध

मैं एतद्द्वारा वचन देता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96 ख के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 के परंतुक के अनुसार विदेश विनियम की विप्रेषणादेश की दशा में ब्याज के साथ मंजूर प्रतिदाय की रकम, सरकार को जमा करूंगा।

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम/प्रास्थिति।”

आज्ञा से,  
आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 435/XI-2-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(119)-2020, dated May 11, 2020:

No. 435/XI-2-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(119)-2020

*Dated Lucknow, May 11, 2020*

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017) the Governor, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

**UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (THIRTY EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2020**

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Thirty Eighth Amendment) Rules, 2020. Short title and commencement

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (here in after referred to as the said rules), in rule 8 *after* sub-rule (4), the following sub-rule shall be *inserted*, namely :- Amendment of rule 8

"(4A) The applicant shall, while submitting an application under sub-rule (4), with effect from April 01, 2020, undergo authentication of Aadhaar number for grant of registration."

3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), with effect from April 01, 2020, the following proviso shall be *inserted*, namely:- Amendment of rule 9

"Provided that where a person, other than those notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principle place of business in the presence of the said person, not later than sixty days from the date of application, in the manner provided under rule 25 and the provisions of sub-rule (5) shall not be applicable in such cases."

4. In the said rules, *for* rule 25, the following rule shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 25

"Physical verification of business premises incertain cases- Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication before the grant of registration or due to any other reason after the grant of registration, he may get such verification of the place of business, in the presence of the said person done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification."

5. In the said rules, In rule 43, in sub-rule (1) with effect from the 1<sup>st</sup> April, 2020,- Amendment of rule 43

(a) for clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A', being the amount of tax as reflected on the invoice, shall credit directly to the electronic credit ledger and the validity of the useful life of such goods shall extend upto five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, input tax in respect of such capital goods denoted as 'A' shall be credited to the electronic credit ledger subject to the condition that the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered by clause (a), denoted as 'T', shall be calculated at the rate of five percentage points for every quater or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed:

Provided further that the amount 'T<sub>ie</sub>' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union Territory tax and integrated tax and declared in **FROM GSTR-3B.**

*Explanation- An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause."*

(b) for clause (d), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c) in respect of common capital goods whose useful life remains during the tax period, to be denoted as 'T', shall be the common credit in respect of such capital goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) are subsequently covered under clause (c), the input tax credit claimed in respect of such capital goods (s) shall be added to arrive at the aggregate value 'T';

(c) in clause (e), the following Explanation shall be *inserted*, namely:-

*"Explanation- For the removal of doubt, it is clarified that useful life of any capital goods shall be considered as five years from the date of invoice and the said formula shall be applicable during the useful life of the said capital goods."*

(d) clause (f) shall be *omitted*.

Amendment of  
rule 80

6. In the said rules, in rule 80, in sub-clause (3), the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 2018-2019 exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in FORM GSTR-9C for the financial year 2018-2019, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner."

Amendment of  
rule 86

7. In the said rules, in rule 86, *after* sub-rule (4), the following sub-rule shall be *inserted*, namely:-

"(4A) Where a registered person has claimed refund of any amount paid as tax wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from Electronic credit ledger, the said amount, if found admissible, shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in FORM GST PMT-03."

Amendment of  
rule 89

8. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), *for* clause (C), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(C) 'Turnover of zero-rated supply of goods' means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or, similarly placed, supplier, as declared by the supplier, whichever is less, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;"

Amendment of  
rule 92

9. In the said rules, in rule 92,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be *inserted*, namely :-

"(1A) Where, upon examination of the application of refund of any amount paid as tax other than the refund of tax paid on zero-rated supplies or deemed export, if the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 of the Act is due and payable to the applicant, he shall make an order in FORM RFD-06 sanctioning the amount of refund to be paid, in case, proportionate to the amount debited in case against the total amount paid for discharging tax liability for the relevant period, mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable and for the remaining amount which has been debited from the electronic credit ledger for making payment of such tax, the proper officer shall issue FORM GST PMT-03 recrediting the said amount as Input Tax Credit in electronic credit ledger."

(b) in sub-rule (4), *after* the words, brackets and figure "amount refundable under sub-rule (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (1A)", shall be *inserted*.

(c) in sub-rule (5), *after* the words, brackets and figure "amount refundable under sub-rule (1)", the words, figures and letter "or sub-rule (1A)", shall be *inserted*.

10. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (10), in clause (b) with effect from the 23<sup>rd</sup> October, 2017, the following Explanation shall be *inserted*, namely,-

Amendment of rule 96

"Explanation.-For the purpose of this sub-rule, the benefit of the notifications mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the registered person has paid Integrated Goods and Services Tax and Compensation Cess on inputs and has availed exemption of only Basic Customs Duty (BCD) under the said notifications."

11. In the said rules, 96A, the following rule shall be *inserted*, namely:-

Insertion of new rule 96B

"96B. Recovery of refund of unutilised input tax credit or integrated tax paid on export of goods where export proceeds not realised.-(1) Where any refund of unutilised input tax credit on account of export of goods or of integrated tax paid on export of goods has been paid to an applicant but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised, in full or in part, in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), including any extension of such period, the person to whom the refund has been made shall deposit the amount so refunded, to the extent of non-realisation of sale proceeds, along with applicable interest within thirty days of the expiry of the said period, or, as the case may be, the extended period, failing which the amount refunded shall be recovered in accordance with the provisions of section 73 or 74 of the Act, as the case may be, as is applicable for recovery of erroneous refund, along with interest under section 50:

Provided that where sale proceeds, or any part thereof, in respect of such export goods are not realised by the applicant within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), but the Reserve Bank of India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered;

(2) Where the sale proceeds are realised by the applicant, in full or part, after the amount of refund has been recovered from him under sub-rule (1) and the applicant produces evidence about such realisation within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded by the proper officer, to the applicant to the extent of realisation of sale proceeds, provided the sale proceeds have been realised within such extended period as permitted by the Reserve Bank of India."

12. In the said rules, in rule 141, in sub-rule (2), for the word "Commissioner" the words "proper officer" shall be *substituted*.

Amendment of rule 141

13. In the said rules, in FORM GST RFD-01, after the declaration under rule 89 (2)(g), the following under taking shall be *inserted*, namely : -

Insertion of undertaking in FORM GST RFD-01

#### "UNDERTAKING

I hereby undertake to deposit to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per the proviso to section 16 of the IGST Act, 2017 read with rule 96B of the UPGST Rules 2017.

Signature-  
Name-

Designation/Status".

By order,  
ALOK SINHA,  
Apar Mukhya Sachiv.